

परियोजना विवरण :- जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से गरी मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 1.850 किमी०)

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद नैनीताल ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से गरी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड के पत्रांक 2475/पी३-14/यू०आर०आर०डी०ए०/13 दिनांक 11.12.2013 के तहत स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्रस्ताव गठित की अनुसार मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव 4.00किमी० लम्बाई में 2.67है० हेतु गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये जिसकी प्रस्ताव स०फ०/UK/ROAD/9591/2015 थी प्रस्तावों के परीक्षण के उपरान्त नोटल अधिकारी देहरादून के पत्रांक 15/15 दिनांक 15/11/2015 द्वारा मार्ग की पर पडने वाली आरक्षित भूमि को कम करने के निर्देशों के अनुसार मार्ग की वास्तविक लम्बाई 1.850 किमी० आ रही है। जिसके तहत 1.850 कि०मी० लम्बाई हेतु यह वनभूमि प्रस्ताव गठित किये गये हैं। प्रस्ताव वन भूमि एवं सिविल भूमि में 9 मी० चौड़ाई में गठित किया है। गठित प्रस्ताव के अन्तर्गत मोटर मार्ग निर्माण हेतु निम्नानुसार वनभूमि वर्गीकृत है।

1	आरक्षित वन भूमि सम्पादित वन प्रभाग	1.5300 है०
2	वन पंचायत	0.0000 है०
3	सिविल भूमि	0.0000 है०
कुल आरक्षित वन भूमि		1.5300 है०
4	नाप भूमि (ड्रिपिंग गार्ड) सहित	0.2040 है०

उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव न्यूनतम लम्बाई एवं चौड़ाई में गठित किया गया है। तथा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य न्यूनतम समरेखण की सम्भावना नहीं है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम गरी की कुल 530 आबादी लाभान्वित होगी, तथा कारस्तकारों को फसलें व अन्य सामग्री लाने ले जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। सर्वेक्षण के आधार पर मोटर मार्ग का समरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि मानकों के अनुकूल न्यूनतम वन भूमि प्रभावित हो, तथा मार्ग निर्माण से न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हों। मार्ग निर्माण के समय न्यूनतम आवश्यक चौड़ाई (7.00 मी० में) में ही वृक्षों का पालन किया जाएगा।

अतः अन्तर्गत जनपद नैनीताल ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से गरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड / लो०नि०वि० उत्तराखण्ड शासन को हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित कर प्रेषित है।

3/11

कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो०नि०वि० भवानी

सहायक अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो०नि०वि० भवानी

अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो०नि०वि० भवानी
अस्थायी खण्ड लो०नि०वि० भवानी